विषय सूची

अध्याय क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय -1	प्रस्तावना	1
अध्याय -2	राज्य बोर्ड का गठन	4
अध्याय -3	बोर्ड की बैठकें	5
अध्याय -4	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	6
अध्याय -5	पर्यावरणीय समस्यायें और इसके नियंत्रण हेतु किया जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	14
अध्याय -6	पर्यावरणीय अनुसंधान	26
अध्याय -7	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	28
अध्याय -8	पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी	33
अध्याय -9	पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	37
अध्याय -10	बोर्ड के वित्त और लेखे	42
अध्याय -11	वार्षिक योजना, 2014-2015	43
अध्याय -12	राज्य बोर्ड द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य	44

परिशिष्ट :-

1. बोर्ड के सदस्य ।
2. बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय ।
3. जल उपचार संयंत्र लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं खदानों की सूची ।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं संस्थानों की सूची ।
5. प्रकाशन ।

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है ।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था । प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया । वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत,
   - 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हयालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008
   - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
   - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
   - 4.4 अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2011
   - 4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
   - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हयालन) नियम, 2001
   - 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंध और हयालन) 2011
5. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
   - 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है । अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं ।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं ।

राज्य बोर्ड के कार्य :

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना,
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना,
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना,
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना,
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना,
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना,
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना,
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना,
- सरिताओं या कुँओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपन्तरण करना या उसे वापस लेना,
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएँ का प्रदूषण संभाव्य है,
- सरिता या कुएँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय-समय पर सौंपे जायें ।

• • •

क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व :

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्राव एवं उत्सर्जन की मॉनिटरिंग ।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य ।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉंच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्रोत्रों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग ।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग ।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना । प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना ।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना ।
- क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत्रों, नदियों आदि में घरेलू जल-मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के तहत् जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना ।
- पर्यावरण जन-चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

● ● ●

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा- 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मण्डल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मंडल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उद्योग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व/नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते है । बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है ।

• • •

3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1974 की धारा- 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गई :

क्रमांक	बैठक संख्या	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	131	22.08.2013	भोपाल	11
2.	132	05.12.2013	भोपाल	12

बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

1. भवन एवं रहवासी क्षेत्र विकास संबंधी योजनाओं के सम्मति प्रकरणों में निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई।
2. शासकीय सेवा में भर्ती हेतु मेन्युअल हिन्दी मुद्रलेख प्रमाण- पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र को मान्यता देने तथा कम्प्यूटर डिप्लोमा की सूची में आई.टी.आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम को शामिल किये जाने हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती तथा सेवा शर्ते (तृतीय श्रेणी) नियम् 1996 की अनुसूची में निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

• • •

4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र

राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता को स्वच्छ बनाये रखने एवं इस पर सतत निगरानी हेतु निगरानी नेटवर्क का विकास बोर्ड के संसाधनों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत हुआ है :

वायु गुणवत्ता प्रबोधन :

वायु गुणवत्ता प्रबोधन, वायु गुणवत्ता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है । वायु गुणवत्ता प्रबोधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति तथा प्रवृत्ति का निर्धारण।
2. शहरी योजना एवं औद्योगिक स्थापनाओं के लिए आवश्यक आधारभूत वायु गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध कराना।
3. वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए उद्योगों तथा अन्य स्त्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करना ।

(1) राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NAMP) -

योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 प्रमुख शहरों में 24 अलग-अलग स्थानों पर (आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों वाले स्थान) सप्ताह में दो बार लगभग 24 घण्टे वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साईड, सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर प्रचालको का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पैरामीटर	नमूनों की संख्या
1.	So_2	9039
2.	Nox	9274
3.	RSPM	4839
4.	SPM	3865
5.	PM 2.5	206

प्राप्त विश्लेषण परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाईन प्रेषित किये जाते है।

(2) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु की निगरानी -

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन संभावित होता है, जो चिमनियों के माध्यम से या सीधे वायु मंडल में विसरित होते हैं। इससे उद्योग के आसपास के वातावरण के प्रदूषित होने की संभावना रहती है । इस वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी., बैग फिल्टर, डस्ट कलेक्टर आदि द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप संभावित वायु प्रदूषण पर सतत् निगरानी रखने हेतु बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु नियमित मॉनिटरिंग करता है ।

वर्ष 2013-14 में चिमनियों के कुल 997 एवं औद्योगिक एवं शहरीय परिवेशीय वायु के 3648 नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये ।

(3) वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण -

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय प्रयोगशाला को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2013-14 में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, शहडोल एवं सिंगरौली के माध्यम् से कुल 14880 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच का लक्ष्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

जाँच किये गये वाहनों का विवरण :-

वर्ष 2013-14 में कुल 16240 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच की गई, जिसमें से 1016 वाहन (6.3 प्रतिशत) निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं अनुसार परिणाम संलग्नक-1 में दर्शित है।

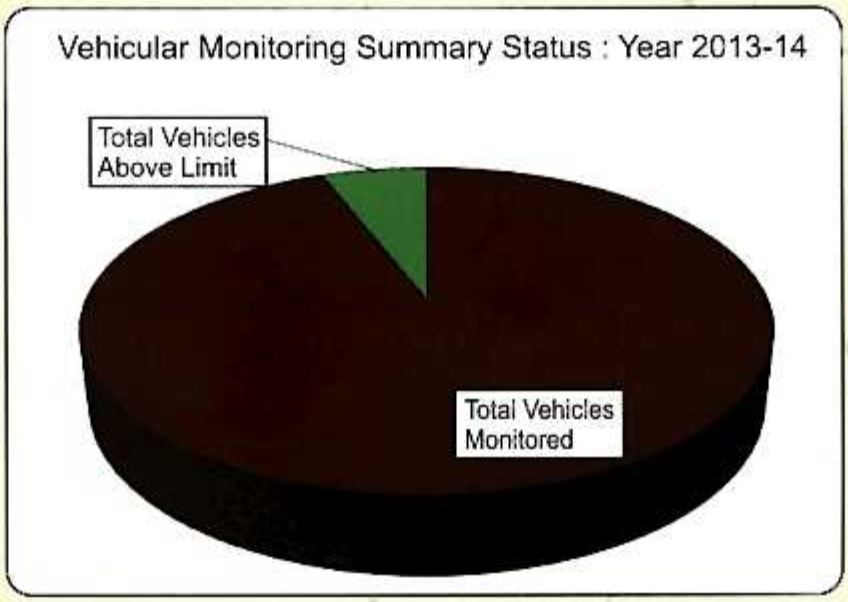

सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें :-

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धा मानकों से अधिक पाये गये । मोटरयान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रित करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है । बोर्ड द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दि जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास कि जाते हैं । सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमि जाँच।

(2) ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों पर प्रदाय किये जा रहे तथा वाहनों द्वारा उपयोग कि जा रहे, ईंधन की नियमित जाँच ।

(3) अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना ।

(4) शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जॉच किया जाना ।

(5) वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश वाहनों की जाँच के सम दी जानी चाहिए ।

(6) पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।

ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण :-

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत ए औद्योगिक क्षेत्रों में बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। व 2013-2014 में लक्ष्य 5184 नमूने निर्धारित किया गया था एवं इसके विरूद्ध कुल 6019 नमूनो का ध्वनि स्तर मापन किया गया। जिसमें से 2874 (47.75 प्रतिशत) नमूने निर्धारित मानकों से अधिक पा गये।

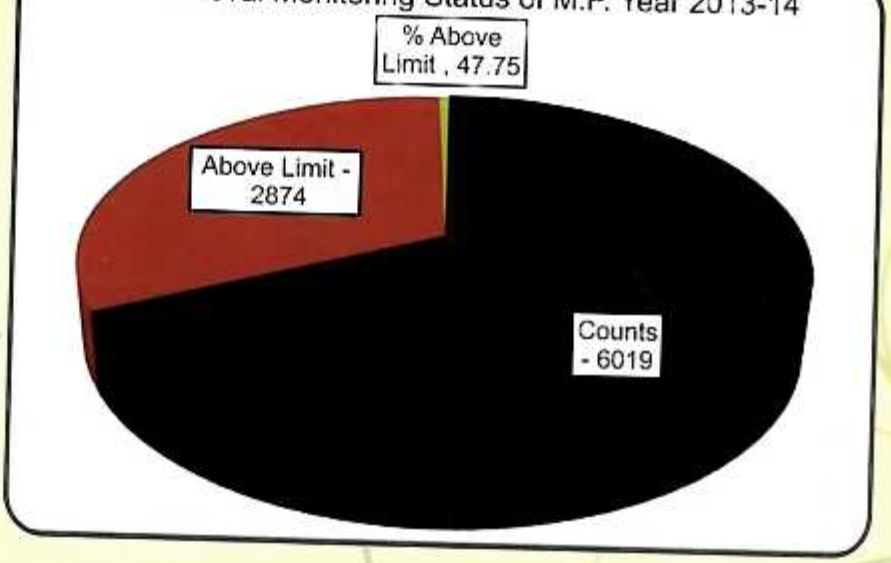

प्रदेश के प्रमुख शहरों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का पूर्ण विवरण : -

वर्ष 2013-2014 में प्रदेश के 37 प्रमुख नगरों में ध्वनि स्तर मापन किया गया ।

(संलग्नक-2)

1. शहर क्षेत्रवार अध्ययन से प्राप्त परिणामों का विवरण :-

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के ध्वनि स्तर सर्वेक्षण में कुल 24.33 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आँकडें निर्धारित मानक से अधिक पाये गये । इसी प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र में 59.53 प्रतिशत, आवासीय क्षेत्र में 49.58 प्रतिशत एवं शाँत क्षेत्र में 48.82 प्रतिशत ध्वनि स्तर के ऑकडें निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये । शहरी क्षेत्रों (वाणिज्यिक आवासीय एवं शाँत क्षेत्र) में ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के मुख्य कारण अत्यधिक वाहनों का आवागमन, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग़ वैवाहिक एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर/ अत्याधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है।

संलग्नक-1

पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहन उत्सर्जन मापन

क्र.	शहर	वार्षिक लक्ष्य (वाहन संख्या)	उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या		
			उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक सीमा में उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक सीमा में उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों का प्रतिशत
1.	Bhopal	1500	1817	79	4.3
2.	Ujjain	1500	427	8	1.9
	Nagda		277	24	8.7
	Dewas		750	7	0.9
3.	Indore	1500	1562	90	5.8
4.	Dhar	1500	394	7	1.8
	Pithampur		1009	4	0.4
	Mandu		113	4	3.5
5.	Gwalior	1500	1190	201	16.9
	Bhind		54	20	37.0
	Morena		48	29	60.4
	Datiya		40	9	22.5
6.	Guna	1080	201	0	0.0
	Vijaypur		464	4	0.9
7.	Jabalpur	1500	2697	264	9.8
	Chhindwara		162	0	0.0
8.	Rewa	900	675	43	6.4
9.	Satna	900	1034	1	0.1
10.	Shahdol	900	899	67	7.5
	Umariya		214	15	7.0
	Anup pur		125	25	20.0
11.	Sagar	1200	1158	82	7.1
	Damoh		51	7	13.7
	Khajuraho		112	0	0.0
12.	Singrouli	900	130	0	0.0
	Waidhan		637	26	4.1
	Total	14800	16240	1016	6.3

संलग्न क्र.-2

मानक सीमा से अधिक पायी गई ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत

क्र.	शहर	वाणिज्यिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र	रहवासी क्षेत्र	शाँत क्षेत्र
1.	धार	27.27	28.06	49.29	16.67
2.	झाबुंआ	33.33	•	•	•
3.	इन्दौर	37.96	38.89	79.73	80.00
4.	बुरहानपुर	•	9.52	41.67	#DIV/0!
5.	सिवनी	33.33	12.50	37.50	45.83
6.	जबलपुर	54.17	16.67	50.00	62.50
7.	छिन्दवाडा	50.00	50.00	45.83	50.00
8.	बालाघाट	45.83	33.33	41.67	50.00
9.	नरसिंगपुर	29.17	12.50	50.00	52.00
10.	मंडला	25.00	16.67	33.33	33.33
11.	कटनी	25.00	20.83	16.67	44.44
12.	सतना	39.24	10.42	25.13	44.44
13.	रीवा	44.44	3.13	28.13	56.94
14.	भोपाल	99.31	19.85	89.47	•
15.	ग्वालियर	72.22	50.75	73.96	•
16.	उज्जैन	58.33	33.33	45.83	•
17.	मंदसौर	62.50	29.17	66.67	83.33
18.	रतलाम	75.00	37.50	66.67	43.75
19.	शाजापुर	75.00	25.00	36.67	91.67
20.	नीमच	70.83	37.5	70.83	87.5
21.	देवास	79.17	37.50	39.02	66.67
22.	गुना	67.65	•	22.73	•
23.	ब्यावरा	37.50	•	•	•
24.	विजयपुर	40.00	•	•	•
25.	शिवपुरी	0.00	•	25.00	•
26.	अशोकनगर	•	•	•	29.17
27.	सागर	74.74	•	•	•
28.	दमोह	30.00	•	•	•
29.	टीकमगढ़	30.00	•	•	14
30.	खजुराहो	•	•	•	•
31.	पन्ना	•	•	•	•
32.	छतरपुर	•	•	•	•
33.	शहडोल	•	•	•	•
34.	उमरिया	46.88	•	•	50.00
35.	डिण्डोरी	40.63	•	•	•
36.	सिंगरौली	•	•	41.67	54.17
37.	बैढ़न	14.58	4.17	41.67	56.25
	कुल	59.53	24.33	49.58	48.82

2. जल गुणवत्ता प्रबोधन :

जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती । मानव अस्तित्व, उद्योग, खेती के लिए स्वच्छ जल एक आवश्यक स्थाई स्त्रोत है । नदी, तालाब, झील और कुँए पेयजल के मुख्य स्त्रोत हैं ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रमुख कार्य जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करना, संकलित करना तथा उन्हें विश्लेषित करना है । अतः नियमित प्रबोधन तथा निगरानी बहुत आवश्यक है ।

राज्य में जल गुणवत्ता के निगरानी हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है :-

1. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आँकड़ों की विश्वसनीयता बढाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है ।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2013-14 में कुल 48 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया । प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये । विश्लेषित परिणामो के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के प्रदूषण स्तर का आँकलन कर उनका वर्गीकरण उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है ।

2. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतो की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी । वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना में कुल 1059 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये तथा विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये । विश्लेषण परिणामों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण स्तर का आँकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है ।

3. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी :-

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं घरेलु कार्यो में जल का उपयोग किया जाता है, तथा उपयोग पश्चात् ही दूषित जल उत्पन्न होता है । बोर्ड ऐसे उद्योगों को निर्देश देता है कि निस्सारित होने वाले जल का शोधन इस प्रकार करें कि शोधित दूषित जल की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो । उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूनें बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशाला के माध्यम् से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित ऑकलन करता है ।

विचाराधीन वर्ष में विभिन्न उद्योगों से कुल 4141 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये ।

4. प्राकृतिक जल स्त्रोतो की निगरानी :-

प्राकृतिक जल स्त्रोतो की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियो, झीलों, बॉधों, तालाबों एवं नालों से वर्ष 2013-14 में कुल 4682 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के अनुसार प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया जा रहा है।

• • •

5. पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्त्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा ध्वनि प्रदूषण की भी जॉच की जाती है । प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्त्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं । इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है ।

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	1112
2 (अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।	1112
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/ सुधार कार्य किया जा रहा है।	84

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	1033
2 (अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं ।	1033
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/ सुधार कार्य किया जा रहा है।	138

विचाराधीन वर्ष में दूषित जल उपचार व्यवस्था तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार/ स्थापना करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 3 व 4 पर है ।

उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँ :

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है । नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

वर्ष 2013-14 में 127 वृहद, मध्यम उद्योगों को स्थापना सम्मतियाँ जारी की गई हैं । जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मतियाँ प्रदान की जाती हैं । वर्ष 2013-14 में 118 वृहद एवं मध्यम उद्योगों को उत्पादन सम्मतियाँ जारी की गई ।

इसी प्रकार की प्रक्रिया लघु श्रेणी के उद्योगों में भी अपनाई जाती है । वर्ष 2013-14 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 410 लघु उद्योगों को स्थापना हेतु स्थापना सम्मति तथा 875 लघु उद्योगों को उत्पादन सम्मति जारी की गई । क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना सम्मति की संख्या	उत्पादन सम्मति की संख्या
1	भोपाल	32	56
2	इन्दौर	62	98
3	धार	57	69
4	उज्जैन	06	181
5	गुना	16	11
6	ग्वालियर	38	92
7	सागर	23	62
8	सतना	28	40
9	रीवा	02	54
10	कटनी	32	05
11	शहडोल	10	46
12	सिंगरौली	05	26
13	जबलपुर	99	135
	कुल	410	875

उद्योगों को जारी सम्मति नवीनीकरण :

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तो के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है । सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मति का एक साथ 10 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का 05 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का 05 वर्ष तक नवीनीकरण किया जाता है । वर्ष 2013-14 में बोर्ड मुख्यालय द्वारा वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 545 उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण पत्र जारी किये गये । इसी प्रकार की प्रक्रिया लघु श्रेणी के उद्योगों में भी अपनाई जाती है । वर्ष 2013-14 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के 4177 उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण पत्र जारी किये गये ।

पर्यावरण प्रभाव अध्ययन :

औद्योगिक गतिविधियों का पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के ऑकलन हेतु बोर्ड द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं, । विचाराधीन वर्ष में 31 उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं । उद्योगों की सूची परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है ।

वृक्षारोपण :

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है । वर्ष 2013-14 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले 09 उद्योगों की सूची परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है ।

पर्यावरण विवरण :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत् उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे - कच्चे पदार्थो की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपना संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है । इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाते हैं ।

वर्ष 2013-14 में पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले उद्योगों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	घोघरा काम्पलेक्स मध्यम सिंचाई परियोजना मुख्य बांध, ग्राम घोघरा, नसरूल्लागंज, सीहोर
2.	मे. ट्राइडेंट कार्पोरेशन लिमि., बुधनी, जिला सीहोर (कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट - 2X30 मेगावाट
3.	सीप-कोलार लिंक मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला सीहोर (जल संसाधन विभाग भोपाल)
4.	अपर घोघरा सिंचाई परियोजना (अजनाल नदी) ग्राम पिपलानी एवं फंडकीपानी, तह. नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (जल संसाधन विभाग)
5.	सेमरी मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्राम मरखेड़ा टप्पा, तह. बेगमगंज, जिला रायसेन (जल संसाधन विभाग)
6.	मे. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड; शहडोल
7.	मे. रिलायंस इण्डस्ट्रीज, शहडोल (शहडोल से फूलपुर गैस पाईप लाईन)
8.	मैं . मोजर वियर पॉवर प्लांट जैतहरी, जिला अनूपपुर
9.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि., मनावर (प्रस्तावित सीमेंट प्लांट)
10.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि., गंधवानी (लाईम स्टोन माईन्स)
11.	कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना (कुण्डलिया बांध) ग्राम कुण्डलिया के पास, जिला राजगढ़
12.	काली सिंध वृहद सिंचाई परियोजना, जिला राजगढ़ (जल संसाधन विभाग)
13.	महुअर मध्यम परियोजना, ग्राम नावली, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी
14.	श्रीमती कमलेश सिंह लेटराईट माईन, ग्राम चित्रगढ़, बिरसिंहपुर, जिला सतना
15.	म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, ग्राम तामर चिचरान, बिरसिंहपुर, जिला सतना
16.	डॉ.ओमप्रकाश राय लाईम स्टोन माईन, ग्राम पहाड़ी नं.-1, मैहर, जिला सतना
17.	डॉ.ओमप्रकाश राय लाईम स्टोन माईन, ग्राम पहाड़ी नं.-2, मैहर, जिला सतना
18.	डॉ.ओमप्रकाश राय लाईम स्टोन माईन, ग्राम पहाड़ी नं.-3, मैहर, जिला सतना
19.	डॉ.ओमप्रकाश राय लाईम स्टोन माईन, ग्राम शिवानादन, मैहर, जिला सतना
20.	मे. शिवशक्ति मार्बल माइन्स, छपरा, जिला कटनी
21.	मे. अब्दुल रज्जाक मार्बल माइन्स, छपरा, जिला कटनी
22.	मे. गीतांजलि मार्बल माइन्स
23.	मे. लक्ष्मी गौड़ मार्बल माइन्स
24.	मे. तेजस्वनी माइनिंग छपरा
25.	मे. महेश मार्बल
26.	मे. हिन्दुस्तान कॉपर लिमि., मलॉजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट, बालाघाट
27.	मे. वैभव इन्फ्रा. लिमि. माईन सीधी
28.	मे. रिलायन्स गैस पाईप लाईन लिमि., सीधी
29.	मे. रिलायन्स गैस पाईप लाईन लिमि., रीवा
30.	मे. सोनरा लाईम स्टोन माईन मध्येपुर, जिला रीवा
31.	मे. जे.पी. बेला कोल वेनीफिक्रेशन मध्येपुर (यूनिट ऑफ जय प्रकाश एसोसियेट्स लिमि.), जिला रीवा

परिशिष्ट ''ब''

वर्ष 2013-14 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले उद्योगों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	मे. ओरियंट पेपर मिल्स, अमलाई, जिला शहडोल
2.	मे. एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
3.	मे. ए.सी.सी. सीमेंट लिमि., सीमेंट वर्क्स, कैमोर, जिला कटनी
4.	मे. निगाही प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
5.	मे. दुधिचुआ प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
6.	मे. ब्लाक ''बीं'' प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
7.	मे. सासन पॉवर लिमि., सिंगरौली
8.	मे. जे.पी. रीवा सीमेंट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.), जिला रीवा
9.	मे. जे.पी. सीधी सीमेंट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.), जिला सीधी

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील है जिसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सीय अपशिष्ठ के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना ''इन्वेन्टराइजेशन ऑफ हेल्थ केयर फेसिलिटी'' के तहत किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2013-14 तक राज्य में कुल 2745 शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 485 अन्य चिकित्सा संस्थान यथा- ब्लड बैंक, पैथालॉजी एवं एक्स-रे इत्यादि (कुल 3230 चिकित्सा संस्थान) चिन्हित किये गये है। नियमों के प्रावधान अनुसार क्लीनिक, ब्लड बैंक एवं अन्य चिकित्सीय संस्थान जो प्रतिमाह 1000 रोगियों से कम का इलाज करते है उन्हें बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तद्नुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 के अंत तक 1972 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे में लाया जा चुका है।

शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या 63276 चिन्हित की गई है। केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ठ उपचार व्यवस्था बाबत् प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक-पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ठ निपटान व्यवस्थाओं की स्थापना के प्रयास किये जा रहे है।

इसी तारतम्य में वर्तमान में 13 स्थानों पर कुल 14 संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाएँ की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थान	संख्या	संचालक का नाम
1.	ग्वालियर	1 (इंसीनरेटर)	जयारोग्य अस्पताल द्वारा स्थापित एवं डेविस सर्जिको द्वारा संचालित।
2.	जबलपुर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स एलिट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित।
3.	इंदौर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स हॉस्विन इंसीनरेटर प्रा. लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं संचालित।
4.	भोपाल	2 (इंसीनरेटर)	➢ मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर प्रा. लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं संचालित। ➢ मेसर्स पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा स्थापित एवं संचालित।
5.	सागर	1 (डीप बरियल)	मेसर्स बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा स्थापित एवं संचालित।
6.	छिंदवाडा	1 (डीप बरियल)	मेसर्स चन्द्रा प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित।
7.	सतना	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स इण्डो वाटर मैनेजमेण्ट, सतना द्वारा स्थापित एवं संचालित।
8.	मुरैना	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स दत्त इंटरप्राइजेस, आगरा द्वारा आगरा में संचालित (परिवहन हेतु)।
9.	सीधी	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स लेवको इन्स्ट्रूमेंट लखनऊ द्वारा संचालित (परिवहन हेतु)।
10.	सिवनी	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स कृपा वेस्टेज, सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित।
11.	रतलाम	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स बायो मेडिकल एसोसियेशन, रतलाम द्वारा रतलाम मे स्थापित एवं संचालित।
12.	सिहोर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन सिहोर द्वारा सिहोर में स्थापित एवं संचालित।
13.	शिवपुरी, अशोकनगर, बीना सहित	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन डिस्पोजल कमेटी, झाँसी द्वारा संचालित (परिवहन हेतु)।

उपरोक्त संयुक्त जीव चिकित्सा अपघिष्ठ प्रबंधन व्यवस्थाओं में प्रदेश के 2393 चिकित्सा संस्थान जुड़ गये है जबकि अन्य संस्थानों द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं के आधार पर जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है। शनैः-घनैः बोर्ड का प्रयास है कि सभी नगरों में संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रवंधन व्यवस्था की स्थापना हो सके।

प्रशिक्षण एवं सेमिनार

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों का जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में जगह-जगह पर सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। विचाराधीन वर्ष में सागर, गुना, एवं मंदसौर में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बोर्ड द्वारा नियमों के प्रभावी कियान्वयन बावत् प्रदेश में ''राज्य स्तरीय जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी सलाहकार समिति'' का गठन किया गया है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 27.11.2013 को एवं द्वितीय बैठक दिनांक 04.04.2014 को आयोजित की गयी है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन :

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबधंन, हयालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 दिनांक 24/09/2008 से अधिसूचित किये गये है। इन नियमों के पूर्व में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हयालन) नियम, 1989 प्रचलित थे। जिसके तहत् कुल 1619 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये है।

मध्य प्रदेश में कुल प्राधिकृत उद्योगों की संख्या (क्षेत्रीय कार्यालय वार) निम्नानुसार है।

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	उद्योगों की संख्या
1.	भोपाल	140
2.	धार	243
3.	गुना	27
4.	उज्जैन	145
5.	रीवा	21
6.	सतना	33
7.	सागर	51
8.	ग्वालियर	161
9.	जबलपुर	232
10.	इन्दौर	426
11.	शहडोल	77
12.	सिंगरौली	30
13	कटनी	33
	कुल संख्या	**1619**

वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड द्वारा कुल 956 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
प्रदेश के वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग - 582
प्रदेश के लघु श्रेणी के उद्योग - 1042

(अ)	इंसीनरेबल अपशिष्ठ	-	2253.579	मैट्रिक टन
			0.2	किलो लिटर
(ब)	लेण्डफिल हेतु	-	58920.258	मैट्रिक टन
			0.45	किलो लिटर
(स)	पुर्नउपयोग विक्रय हेतु अपशिष्ट	-	373044.89	मैट्रिक टन
			215.032	किलो लिटर
			6855	नंबर

तकनीकी कारणों से बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकार जारी करने कार्य 01/09/2009 से प्रारंभ किया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान परिसंकटमय अपशिष्ठ से संबंधित कोई भी विशेष दुर्घटना प्रदेश में घटित नहीं हुई है ।

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबधंन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 के तहत् परिसंकटमय अपशिष्ठ उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्ठों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के 10 उद्योगों द्वारा स्वंय के परिसर में भस्मक (Incinerator) लगाकर अपशिष्ठों के अपवहन की व्यवस्था की गई है एवं 09 उद्योगों ने अपशिष्ठों को अपवहन करने के लिये स्वंय की डिस्पोजल साईट विकसित की है तथा उसमें अपशिष्ठों का अपवहन किया जा रहा है।

परिसंकटमय अपशिष्ठों के अपवहन हेतु मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला-धार में स्थल चिन्हित कर मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल द्वारा बिडिंग के माध्यम से फैसिलिटी आपरेटर के रूप में मेसर्स रामकी इनवायरों इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद का चयन बिल्ड ऑन आपरेट एण्ड ट्रॉसफर के आधार (BOOT basis) पर कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी (सी.टी.एस.डी. एफ) विकसित करने हेतु किया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ठों के अपवहन हेतु सुविधा के विकास हेतु लगभग 60 एकड़ भूमि प्लाट नं. 104 औद्योगिक क्षेत्र- 2, पीथमपुर धार में आवंटित की है।

फैसिलिटी आपरेटर द्वारा स्थल की ई.आई.ए. तैयार करने के पश्चात ईआईए नोटिफिक्रेशन 1994 के प्रावधानों के तहत् लोक सुनवाई की प्रकिया करवाई गई व तद्उपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थल को अधिसूचित किया गया था। पीथमपुर जिला-धार में कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनजमेंट फैसिलिटी पीथमपुर के नाम से की गई है।

इस डिस्पोजल साईट में निम्न सुविधाओं का विकास किया गया :-

1. अपशिष्टों के भंडारण हेतु व्यवस्था।
2. अपशिष्टों के सॉलिडीफिक्केशन/ स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
3. सिक्योर्ड लैण्डफिल सेल।
4. लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवापोरेशन पॉड।
5. अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यो हेतु प्रयोगशाला।
6. अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग वे इत्यादि।
7. इंसिनरेटर की स्थापना।

इस सुविधा में खतरनाक अपशिष्टों के डायरेक्ट लेण्डफिल एवं उपचार उपरांत भूमि भराव (लेण्डफिल) करने की क्षमता निम्नानुसार है:-

1. डायरेक्ट लेण्डफिल - 50,000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
2. सॉलिडीफिक्केशन/ स्टेबलाईजेशन - 20,000.00 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष

इस सुविधा द्वारा नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मार्च 2011 तक इसमें लगभग 59775 मैट्रिक टन अपशिष्ट का अपवहन भी किया जा चुका है।

बोर्ड द्वारा फैसिलिटी को पत्र दिनांक 14/12/2010 के माध्यम से नवीन सेल ब्लाक "डी" में विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसकी अनुमानित क्षमता 60,000 मैट्रिक टन होगी।

फैसिलिटी में स्थापित इंसीनरेशन के ट्रायल रन दिनांक 13/05/2010 से 12/09/2010 तथा 20/11/2011 से 26/11/2010 के मध्य लिये गये।

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित की गई वेवसाइट नेशनल हजार्डस वेस्ट इंनफोरमेंशन सिस्टम में बोर्ड द्वारा Inventorisation की जानकारी अपलोड की गई, यह जानकारी के अतिरिक्त 2009 एवं 2010 के Inventorisation की जानकारी भी उक्त वेवसाईट पर अपलोड की गई है। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसके द्वारा उक्त जानकारी को नेशनल हजार्डस वेस्ट इंनफोरमेंशन सिस्टम में अपलोड किया गया जिसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रशंसा की गई।

बोर्ड द्वारा उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों द्वारा नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जाये तथा आवश्यकता के अनुसार उद्योगों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों को नियमानुसार दिशा-निर्देश जारी कर कार्यवाही की जाती है।

पुर्नःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण, उपयोग एवं अपशिष्ठ प्रबंधन -

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 249/(अ) दिनांक 4.2. 2011 के माध्यम से पुनःचक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण एवं उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन) नियम् 1999 की उन बातों के सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से रोक किया गया है। अधिकान्त करते हुये -अपशिष्ट प्लास्टिक'' (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 जारी किये गये हैं।

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनः चक्रण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्व नगरपालिका प्राधिकरण होगी।

प्लास्टिक नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु राज्य शासन की मदद से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है, जिससे अमानक पॉलिथीन कैरीबेग के प्रचलन को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट निष्पादन के संबंध में पूर्व में की जा रही कार्यवाही के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में 131 स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर अमानक स्तर के पॉलीथीन केरी बेग लगभग 8014.47 कि.ग्रा. प्रदेश भर में जब्त की गई।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा प्रदेश में लगभग 112 जन-जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, वर्कशाप इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कर जनमानस में अमानक स्तर की पॉलीथीन कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंध की जानकारी दी गई।

ई-वेस्ट प्रबंधन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 दिनांक 01 मई, 2012 से पूरे देश में लागू किये है। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्वेश्य ई-वेस्ट जिसमें इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण शामिल है, जो कि नियम की अनुसूची-01 में दर्शाये है। बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों क्रमशः भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में माइक्रोलेवल इन्वेन्टराईजेशन का कार्य किया जा रहा है। जिसके फाइनल रिपार्ट का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2013-14 में भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर संभागों के अतिरिक्त अन्य 6 संभागों में ई-वेस्ट का माइनक्रोलेबल इन्वेन्टराईजेशन का कार्य अनुसूची-1 में दर्शायें गये उपकरणों के लिये किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट के प्रबंधन एवं जागरूकता संबंधी कार्यशालाएँ लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, धार, उज्जैन एवं सतना शहरों में आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान निम्नानुसार प्रमुख बिन्दु उभर कर आये :-

(1) ''ई-वेस्ट प्रबंधन'' संबंधी कानूनी व्यवस्था तथा अन्य जानकारियों के लिये और अधिक जागरूकता अभियान चलाये जाना चाहिये।

(2) स्थानीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन की जानी चाहिये ताकि जन-भागीदारी बढ़ाई जा सके।

(3) कार्यशाला में यह सुझाव आया था कि जिस प्रकार सभी इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में आपरेशन मैन्युअल दिया जाता है उसी प्रकार डिस्पोजल का तरीका भी सुझाया जाये।

(4) स्कूल सिलेबस में भी पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत ई-वेस्ट के सही प्रबंधन हेतु शिक्षाप्रद लेख शामिल किये जायें।

(5) ई-वेस्ट जनरेटन के लिये कड़े नियमों का प्रावधान एवं जिम्मेदारी स्पष्ट की जानी चाहिए।

(6) ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स कीओर से विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया गया कि ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सुविधा के विकास के लिये आयातित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में ड्यूटी शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

(7) प्रादेशिक स्तर पर ई-वेस्ट प्रबंधन पर जागरूकता तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कलेक्शन सेंटर का विकास किया जाना चाहिए ताकि इन्हें एकत्र कर रीसाइक्लर्स की सुविधा का लाभ उठाया जा सकें।

बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम् 2011 के तहत् इंदौर स्थित मेसर्स यूनिक इको रिसाइकल को ई-वेस्ट के रिसाइकलिंग हेतु पंजीकृत एवं प्राधिकृत किया गया है। मध्यप्रदेश में यह पहली यूनिट है, जिसे ई-वेस्ट के रिसाइकलिंग हेतु नियम के तहत् स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त इंदौर, भोपाल तथा ग्वालियर में 215 सेन्टर खोले जाने की प्रक्रिया जारी है।

बैटरीज प्रबंधन एवं हथालन :

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक- का.आ.432 (अ) दिनांक 16.5.2001 द्वारा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 प्रकाशित कर लागू किये गये है। इन नियमों में भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1002 (अ) दिनांक 04.05.2010 द्वारा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियम्, 2010 बनाये गये है। नियमों के अंतर्गत प्रत्येक बैटरीज विनिर्मातक, आयातकर्ता, मरम्मत करने वाले, समायोजन, व्यवहारी, पुनः चक्रणकर्ता, उपभोक्ता और बैटरी के विनिर्माण, प्रसंस्करण, क्रय, विक्रय व उपयोग में लगे प्रमुख उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी निर्धारित है साथ ही संशोधित नियम्, 2010 के अनुसार बैटरी डीलर को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीयन कराया जाना भी अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा नियमों में निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष जानकारी तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को विकेन्द्रित करते हुए प्रदेश में बैटरी डीलर्स के पंजीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रदत्त किये गये है।

प्रदेश में वर्ष 2013-14 तक कुल 45 उद्योगों को उपयोगित लेड एसिड बैटरी से लेड एवं प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण हेतु पंजीकृत किये गये है। इन उद्योगों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रिय तकनीकी से उपयोगित लेड एसिड बैटरी से सीसा एवं प्लास्टिक का पुनर्चक्रीकरण किया जाता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियंत्रण

नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम् 2000 की धारा 4 (1) के तहत् नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का है एवं नियमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी धारा-5 (2) के अंतर्गत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की है।

उपरोक्त नियमों के अंतर्गत बोर्ड के दायित्वों में स्थानीय निकायों को प्राधिकार प्रदत्त करना एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना है। बोर्ड द्वारा नियमित रूप से प्रतिवर्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है । बोर्ड द्वारा समय-समय पर जन-जागरूकता हेतु कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है ।

• • •

6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत् रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है । उद्योगों के निस्त्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई-नई प्रणालियॉ विकसित होती जा रहीं हैं । इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है । विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया -

1. विजयपुर क्षेत्र के भूजल में प्रदूषण विशेषतः नाइट्रेट एवं फ्लोराइड की जाँच :-

औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के दूषित जल/ठोस अपशिष्ट के भूमि में रिसन के कारण भूमिगत जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ सकती है । इसके अतिरिक्त भौगोलिक कारणों से भी भूमिगत जल में कुछ हानिकारक तत्वों की उपस्थिति निर्धारित मात्रा से अधिक पाई जाती है, जो कि मानव जाति एवं वनस्पतियों के लिये हानिकारक होती है । उक्त संभावना के परिपेक्ष्य में विजयपुर क्षेत्र के भूजल में प्रदूषण विशेषतः नाइट्रेट एवं फ्लोराइड का परीक्षण किया गया । प्राप्त परिणाम के आधार पर कुछ स्थानो के भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा बी.आई.एस. 10500 द्वारा निर्धारित मापदण्डो से अधिक प्राप्त हुआ है किन्तु फ्लोराइड़ की मात्रा तय मानक सीमा में ही प्राप्त हुआ है ।

2 जबलपुर शहर में स्थित पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र के क्लोरीनयुक्त जल में विशेषतः ट्राईहेलोमीथेन की उपस्थिति पर अध्ययन :-

जबलपुर शहर के विभिन्न जल शुद्धिकरण संयंत्र पर क्लोरीन उपचार के पश्चात् उत्पन्न होने वाले ए. ओ.एक्स. यौगिकों का परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है यह महत्वपूर्ण है कि कुछ ट्रायहेलोमीथेन यौगिक कैंसर कारी होते है अतः इनकी मात्रा के आंकलन के पश्चात् ट्रायहैलोमीथेन यौगिकों की पहचान तथा मात्रा का आंकलन पर अध्ययन किया गया । प्राप्त आंकड़े पेयजल में ट्रायहैलोमिथेन की उपस्थिति तो दर्शाते है किन्तु उनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं ई.पी.ए. द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप पाई गई ।

3 सिंगरौली क्षेत्र में मर्करी प्रदूषण पर अध्ययन

सिंगरौली क्षेत्र में स्थापित विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से वातावरण में मर्करी प्रदूषण के आंकलन हेतु अध्ययन वर्ष 2012-13 में प्रारंभ किया गया है । इस कार्य के अंतर्गत मृदा, भूजल, कोयले के नमूनों में मर्करी धातु का विश्लेषण किया गया है । विश्लेषित नमूनों में से कुछ में मर्करी की उपस्थिति पायी गई है ।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न परियोजनाओं, मॉनिटरिंग पैकेज एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण कार्य किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

मॉनिटरिंग पैकेज के अनुसार विश्लेषण कार्य

S no.	Particular	Number of Sample
1	Natural water monitoring	608
2	Industrial Waste monitoring	474
3	Ambient air monitoring	183
4	Source monitoring	25
5	Noise Monitoring	864
6	Vehicle Monitoring	1810

अन्य विश्लेषण कार्य

S. No.	Description of Sample	No. of Samples
1.	Water	849
2.	Soil /Hazardous wastes	157
3.	Projects	290
4.	Others	108

विशिष्ट संवेदनशील उपकरणों पर विश्लेषण कार्य

S. No.	Instrument	No. of Samples
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer	849
2.	CHNS Analyser	157
3.	Gas Chromatograph	290

Accreditation

Central Lab is enlisted vide Gazette Notification dated 8/2/2008 under Water [Pollution Control & Prevention] Act, 1974 under section 16[3]. Since its inception, the lab has obtained following accreditation:-

1. Environmental Protection Act [1986]
2. NABL- ISO/IEC 17025:2005 [International Quality System] in the year 2011 [for water and waste water].
3. OHSAS 18001:2007 – [Occupational Health and Safety Assessment Series] Certification in the year 2013 for occupation health & Safety of the laboratory personnel

Central lab is among very few laboratory within all State Pollution Control Board`s Laboratory having theNABLISO / IEC 17025:2005 quality management certification including OHSAS 18001:2007 Certification and recognition under EP Act 1986.

Central lab is among very few laboratory within all State Pollution Control Board's Laboratory having the NABLISO/IEC 17025:2005 quality management certification including OHSAS 18001:2007 Certification under EP Act 1986.

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

उद्देश्य

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है । पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता :

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिस्राव व उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये ।

- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिस्राव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण
- पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण ।
- जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति ।
- प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एव विशलेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण ।
- सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण ।
- पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- खतरनाक अपशिष्ठ का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन, आंकडों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण ।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है । बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंर्तगत केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2012-13 में निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से दो-दो प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया ।

1. Training on First Aid and medical Emergency Response in June,2013.
2. Training on Chemical Safety , Ergonomics and general Occupational Health & Safety awareness has been on 9th July 2013.
3. Training on Chemical Safety , Ergonomics and general Occupational Health & Safety awareness has been on 16th July 2013.
4. Good Laboratory Practices and Quality Control in Water Quality Analysis on 7th August 2013.
5. Trainings also imparted to students of various Educational institutes.
6. Training to PGDEM student of EPCO.
7. Training to 120 Asstt. Professors from colleges under UGC programme conducted by EPCO

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1	Status of compliance and environmental issues related to sponge Iron plants	C.P.C.B. Delhi	Kolkata	05.04.13	1. Sri M.L. Patel S.E., R.O. Singroli 2. Sri P.S. Sharma C.C., R.L. Satna
2	Use of Modern Tools to Identify the Legacy sites and Innovative Remediation Technologies for contaminated sites	A.P.P.CB. Hyderabad	Hyderabad	22 Apr to 27 Apr, 2013	Shr H.S. Malviya, E.E., Bhopal
3	Improving Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of RTI Act 2005	RCVP Noronha Academy of Administration and Management, Bhopal	Bhopal	25 Apr 2013	Shr Rakesh Shrivastava S.E., Bhopal
4	E-waste Management	I.I.W.M.	Bhopal	25 Apr 2013	1. Dr Tasneen Soofi, Scientist, R.O., Bhopal 2. Shr Ashok Gupta, Jr. Scientist., Bhopal

5	Lead Batteries - Technology, Environment & Markets	ilzda New Delhi	Banglore.	29 Apr 2013	1. Sh. H.S. Malviya, EE, H.O. Bhopal. 2. Dr S.Sunil, Scientist, Bhopal
6	E-Waste and E-Waste Management& Handling Rules	C.S.E. New Delhi	New Delhi	6 to 10 May 2013	**1. Sh Kanti Chowdhary,** E.E. R.O. Indore 2. Sh Praveen Kothari, Bhopal 3. Sh R.K. Jain, Jr. Scientist, R.O. Gwalior 4. Dr Ajay Khare, Jr Scientist, R.O. Jabalpur
7	Green Cementech 2013 as a panelist.	C.I.I. Hyderabad	Hyderabad	16 to 17 May 2013	1.Dr N.P. Shukla, Chairman 2. Dr P.S. Bundela, R.O. Jabalpur
8	Urban Governance	RCVP Noronha Academy of Administratio n and Management, Bhopal	Bhopal	4 to 6 Jun, 2013	1.Dr Rajendra Chatirvedi, Scientist, Bhopal 2. Dr S.S. Pandya, Scientist, Bhopal 3. Sh M.P. Jain, ADM, Bhopal 4. Sh. Anil Kumar Sharma, Section Officer, Bhopal
9	Increasing AFR Usage in Cement Industry.	C.I.I. Hyderabad	New Delhi	11 Jul 2013	1. Sh P.S. Bundela, R.O. Jabalpur
10	Laboartory Management System & Internal Auditing as per IS/ISO/IEC 17025:2005	Environment Matters, Mohali	Mohali	11 to 14 Jul 2013	1. Sh Harshwardhan Thakkar, Scientist, Bhopal 2.Smt.Sangeeta Shukla, Chemist, Bhopal
11	Urban Green Spaces.	AMDA, New Delhi	Udaipur	22 to 23 Aug 2013	1. Sh R.K. Shrivastava, S.E., Bhopal 2.Sh M.K. Mandrai, E.E. Bhopal
12	Use of Fly Ash in Forestry and Development of Degraded/waste land	C-FARM New Delhi	Bhubanes--war	12 to 13 Sep	1.Sh M.L. Patel, R.O. Singrauli
13	Co-Processing of Wastes in Cement, Thermal and Iron & Steel Industries & reg	Zonal Office (Central) C.P.C.B. Bhopal and SINTEF, Norway	Jaipur	18 Oct 2013	1.Dr.Abhay Saxena, C.C., Bhopal 2. Dr. S. Sunil, Sci., Bhopal
14	Calibration of Electro-technical & thermal instruments and Expres-sion of uncertainty in measurement	C.P.R.I. Bhopal	Bhopal	5, Oct 2013	1.Sh Harsh Thakkar, Sci, Bhopal 2. Sh S.K. Gupta, Chemist.Indore

15	Regulators meet on Minamata Convention	C.P.C.B. Delhi	Delhi	30 Dec, 2013	1.Sh Hemant Sharma, S.E., Indore 2.Dr Dilip Vaghela, C,C., Singrauli
16	ISO/IEC17025:2005	11QM	Jaipur	7-10 Jan.	1. Sh. R.K. Jain, Jr. Sci. R.O. M.P.P.C.B, Gwalior 2. Sh. D.K. Sharma, Chemist R.O. M.P.P.C.B, Gwalior
17	Polluted River Stretches - preparation of Action Plan	C.P.C.B	Delhi	7-10 Jan.	1. Dr. Arti Agrawal, Sci. H.O. M.P.P.C.B. Bhopal. 2. Dr. Rajkumari singh Jr. Sci. H.O. M.P.P.C.B. Bhopal
18	Compliance Monitoring and Enforcement.	CSE	Delhi	1-28 Feb.	1. Sh. Vijendra Singh, Chemist, R.O.M.P.P.C.P, Jabalpur. 2. Sh. D. Solanki, Chemist R.O. M.P.P.C.B. Ujjain
19	Best Practices of Environmental Governance	CSE	Delhi	13-19 Feb	1. Sh. Hement Sharma, S.E. Incharge SEZ, Indore. 2. Sh. Sunil Shriwastava Sci, R.O. M.P.P.C.B. Indore.
20	Lake Conservation	EPCO	Bhopal	14-16 Feb	1. Dr. T.P. Banerje, Jr. Sci. R.O. M.P.P.C.B. Jabalpur 2. Sh. Subodh Bhargava, Chemist, R.O. M.P.P.C.B, Bhopal.
21	Uniform Protocol Order-2005 Requirement and prospect for water quality Monitoring	C.P.C.B	Delhi	20-22,Feb.	1. A.U. Baig, Jr. Sci. H.O. M.P.P.C.B. Bhopal. 2. Sanjay Rajpoot Chemist, H.O. M.P.P.C.B. Bhopal.
22	Landfills	IIT	Delhi	6-7 March	Sh. Abhay Saraf, Executive Engineer H.O. M.P.P.C.B. Bhopal.

23	Source Emission Monitoring	C.P.C.B Z.O	Bhopal	6-7 March	Sh. A. U. Baig, Jr. Sci. H.O. M.P.P.C.B. Bhopal. Sh. Baldev Singh Thakur, Chemist, H.O. Bhopal Sh. Sanjay Rajpoot, Chemist H.O. Bhopal Sh.Rajesh Gabhe, Chemist, R.O. Ujjain Sh. R.D. Wagh, Chemist, Chemist, R.O. Ujjain Sh. S.K. Jain, Jr. Sci, R.O. Sagar Sh. R.K. Jain, Chemist, R.O. Jabalpur. Sh. Akhlesh Sikarwar, Chemist, R.O. Jabalpur
24	Laboartory Management System & Internal Auditing as per IS/ISO/IEC 17025:2005	Environment Matters, Mohali	Mohali	5 to 8 Mar 2014	1.Sh N.P. Singh, C.C. Gwalior 2.Sh C.K. Sharma, Sci, Gwalior
25	Ground water conservation and management wigh people participation in Madhya Pradesh	CGWB	Bhopal	14 March	1. Dr. T. Soofi, Sci R.O. Bhopal 2. Dr. Sangeeta Danny, Sci. R.O. Bhopal. 3. Smt. Sangeeta Shukla, Chemist, H.O. Bhopal.
26	E- Waste (Management & Handling) Rules, 2011	C11, Delhi	Indore	20 March	1. Sh. H.S. Malviya, EE, H.O. Bhopal. 2. Dr. Lokendra Trivedi, CC, R.O. Dhar. 3. Sh. Kanti Chowdhary, E.E. R.O. Indore.
27	Water Quality Management and best Laboratory Practices.	C.P.C.B. Zonal Office	Banglore	27-29 March	Smt. Sangita Shukla, Chemist, H.O. Bhopal.
28	Enterpreneur Development Programme	CSIR - AMPRi	Bhopal	28 March	Dr. Alok Saxena Sci, H.O. Bhopal.
29	Green Building & Building Rating Systems	PHD Chamber	Bhopal	12, March	Dr. Saroj Shrivastava Sci. R.O. Indore.

8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) (ग,ड़) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) (ग,ध) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-मानस में जागरूकता एवं जन-भागीदारी की भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है ।

विचाराधीन वर्ष में इस दिशा में किये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :

प्रदर्शनियों में सहभाग :

बोर्ड समय-समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है । विभिन्न अवसरों पर नुक्कड़ प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है । बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धार्मिक पर्वो के अवसर पर प्रर्दशनीयाँ आदि लगाई जाती हैं।

14 से 17 फरवरी को बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान में विज्ञन भारती एवं एम.पी. काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलांजी द्वारा आयोजित भोपाल विज्ञान मेंले में एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। जिसमें विभिन्न मॉडलों, उपकरणों एवं फोटोग्राफ द्वारा बोर्ड की गतिविधियों प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं किये जा रहे उपायों को प्रर्दर्शित किया गया ।

विश्व पर्यावरण दिवस :

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के उद्धेश्य से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला का आरंभ भोपाल में एक जून को जवाहर बाल भवन में चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन से प्रारंभ हुआ। इसमें विभिन्न आयु वर्ग व शिक्षण संस्थान के बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। दो जून को न्यू मार्केट के पास ही हाट बाजार में जन-सामान्य को पॉलीथिन अपशिष्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा पॉलीथिन का उपयोग न करने के बारे में प्रोत्साहित किया गया। तीन जून को स्मृति भवन भोपाल में वृक्षारोपण का कार्य किया।

चार जून को पर्यावरण संरक्षण में जन-सामान्य की भूमिका व पर्यावरण दिवस के महत्व के बारे में रेडियो परिचर्चा की गई। पांच जून को जवाहर बाल भवन के सभागार में उपस्थित बच्चों को पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नगरीय ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक व बायो मेडिकल वेस्ट, ओजोन परत क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव तथा जैव विविधता पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की तथा विश्व परिदृश्य की वर्तमान स्थिति से बच्चों को अवगत कराया।

समस्त क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालयों तथा औद्योगिक संस्थानों में भी इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण रैली, संगोष्ठी, प्रर्दशनी आदि का आयोजन किया गया।

पर्यावरण हितैषी पहल

गणेश उत्सव एवं दुर्गा पूजा उत्सव पर निर्मित प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ- साथ रासायनिक रंगों का उपयोग होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों को मैदानी स्तर पर लागू करने हेतु बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिमाओं के निर्माण व इसके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण के प्रति मूर्तिकारों गणेश व दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों स्थानीय संस्थाओं एवं जन-साधारण में जन-जागरूकता हेतु वृहद स्तर पर कार्यशालाओं एवं जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यशालाओं का आयोजन

पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन-जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में विचाराधीन वर्ष में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

नर्मदा स्वच्छता अभियान

6 फरवरी नर्मदा जयन्ती के अवसर पर जबलपुर, मण्डला, धार, अलीराजपुर, शहडोल, अमरकंटक, डिण्डौरी में नर्मदा के घाटों पर नर्मदा स्वच्छता अभियान चलाया गया। मध्यप्रदेघ की जीवन रेखा नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए नर्मदा तट को स्वच्छ रखने हेतु जल में पूजन सामग्री प्रवाहित न करने, पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु विभिन्न जन-जागृति कार्यक्रमों, रैलियों, प्रदर्घनी, कार्यघाला आदि का आयोजन विभिन्न स्थानों के घाटों पर किया गया। इस अवसर पर जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की गई।

मेलों के अवसर पर गंदगी न हो इस हेतु विभिन्न स्थानों पर अस्थायीशौचालय, नगरीय ठोस अपघिष्ठ के एकत्रिकरण हेतु जगह-जगह डस्टबीन रखे गये, मूर्तियों के विसर्जन हेतु कुंड का निर्माण आदि कार्य किए गये।

जबलपुर के सरस्वती घाट, भेड़ाघाट में नगर परिषद भेड़ाघाट, मध्यप्रदेघ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नर्मदा समग्र एवं नर्मदा जिलेटिन द्वारा नर्मदा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बस्ती का पानी जो पंचवटीघाट में सीधे आकर मिलता है उसे नर्मदा जिलेटिन प्लांट द्वारा डायवर्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के कार्य को आगे बढ़ायेगी एवं आने वाले समय में शीघ्र ही नाला बंद करने की घोषणा की गई थी। इस कार्य को सामाजिक सारोकार के तहत् किया जायेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार

प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने वाले प्रदेश के चार उद्योगों को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार 2012-13 से सम्मानित किया गया। उद्योगों के प्रकार एवं नाम निम्नानुसार हैः-

क्र.	उद्योगों के प्रकार एवं नाम	पुरस्कार राशि रू. में
1	अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग मेसर्स विक्रम सीमेंट वर्क्स, 2ग23 मे.वा., थर्मल पॉवर प्लांट, पो.-खोर, तहसील-जावत, जिला-नीमच	1,50,000/-
2	सामान्य उद्योग मेसर्स सिपला लि., प्लांट नं.-09/10/एस.ई.जेड., फेस-2, फार्मा जोन, सेक्टर III, पीथमपुर, जिला-धार	1,00,000/-
3	उत्खननरत खदानें मेसर्स कुर्जा सीतल धारा, यू.जी. माईन, एस.ई.सी.एल., पो.आ.-बिजुरी, जिला- अनूपपुर	1,00,000/-
4	लघु उद्योग श्रेणी करसोमा बायोकेम प्रा.लि. प्लाट नं.- 254, सेक्टर-3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला- धार	1,00,000/-

9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी पाढुर्ना छिंदवाडा	22/4/13	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,22,31 ए 37 व 40 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44,45 ए एवं 47	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 का उल्लंघन करने व बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने के कारण।
2	मेसर्स एलिक्जर इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.लि. ग्वालियर	03/05/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	बिना पर्यावणीय स्वीकृति व सम्मति के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण।
3	नगर पालिक निगम जबलपुर	20/7/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43,44 ए एवं 48	बोर्ड से सम्मति प्राप्त न कर ने एवं जल प्रदूषण फैलाने के कारण।
4	मेसर्स कुसुम मिनरल्स विछुआ मंडला एण्ड श्री भीकम चन्द्र जैन एवं श्री रफीक अहमद	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति प्राप्त न कर ने के कारण।
5	मेसर्स अलीका मिनरल्स भाटियाटोला बैनपुर मंडला कु. सिप्टन वानो धरमशाला वार्ड मंडला	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति नवीनीकरण न कराये जाने के कारण।
6	मेसर्स धर्मेन्द्र कुमार मोदी डोलोमाइट माइन्स भाटियाटोला बैनपुर मंडला 0.86 हे.	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति नवीनीकरण न कराये जाने के कारण।
7	मेसर्स अरूण डोगरसे डोलोमाइट माइन्स भाटियाटोला विछुआ मंडला	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति न लेने के कारण।
8	मेसर्स रॉक एण्ड मिनरल्स डोलोमाइट माइन्स मुगदरा बैनपुर मंडला	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड से सम्मति न लेने के कारण।

9	मेसर्स कुसुम मिनरल्स डोलोमाइट माइन्स विछुआ मंडला 2.41 हे.	19/08/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादन क्षमता बढाने के कारण।
10	मेसर्स एस.टी.पी. सारनी,जिला बैतूल	सितम्बर 2013	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -37,39 व सहपठित धारा-40	सम्मति शर्तो का उल्लंघन करने के कारण।
11	मेसर्स शील देवी झा डोलोमाइट माइन्स 4.61 हे. विछुआ मंडला	10/09/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादन क्षमता बढाने के कारण।
12	मेसर्स शील देवी झा डोलोमाइट माइन्स 4.41 हे. विछुआ मंडला	10/09/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादन क्षमता बढाने के कारण।
13	मेसर्स समदडिया शॉपिंग माल एवं मल्टीप्लैक्स	10/09/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के संचालित रहने के कारण।
14	मेसर्स श्री श्रीलाल आंजना ग्राम सोनियाना तहसील व जिला नीमच	17/09/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियमों के उल्लंघन के कारण।
15	मेसर्स श्री पूरनमल आंजना ग्राम सोनियाना तहसील व जिला नीमच	17/09/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियमों के उल्लंघन के कारण।
16	मेसर्स अभिदीप प्लास्टिक सागर	5/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 एवं अपशिष्ठ प्लास्टिक (प्रंबध और प्रहस्तन) नियम 2011 की धारा-5 (ग) के अन्तर्गत।	अमानक प्रकार के पॉलीथिन कैरी बैग पाये जाने के कारण ।
17	मेसर्स एम.पी.स्टेट माईनिंग कार्पो.ग्राम तिगोडा, जिला-सागर	5/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 व 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बगैर खदान ईकाई का संचालन करने के कारण।
18	मेसर्स पंकज पोलीमर्स मंडीदीप रायसेन	7/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 का उल्लंघन (पॉलीथिन के नमूने अमानक श्रेणी के पाये जाने के कारण।

19	मेसर्स राधामोहन इण्डस्ट्रीज मंडीदीप रायसेन	7/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन ए वं हयालन) नियम 2011 का उल्लघंन (पॉलीथिन के नमूने अमानक श्रेणी के पाये जाने के कारण।
20	मेसर्स सत्या इन्फ्रास्ट्राक्चर लि. राउखेडी इन्दौर	17/10/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिक्केशन के उपबंधों का उल्लंघन।
21	मेसर्स मेकर रियल वेंचर (सिल्वर इस्टेट वर्टिका) भोपाल	1/11/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करने के कारण।
22	मेसर्स अमलोरी कोलमाइन प्रोजेक्ट एनसीएल पोस्ट अमलोरी जिला-सिंगरौली	21/11/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 एवं 16 के अन्तर्गत।	खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, हस्तन एवं सीमापार संचलन) नियम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राधिकार के शर्तों का उल्लंघन करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन के कारण।
23	मेसर्स के.जे.एस सीमेंट लि. गिरगिटा लाइम स्टोन माइन्स रकबा 258.998 हे.तहसील मैहर सतना	23/12/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15/16 के अन्तर्गत।	ई.आई.ए नोटिफिक्केशन 2006 का उल्लंघन करने के कारण।
24	मेसर्स वेदान्त हॉस्पिटल इन्दौर	07/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 का उल्लंघन।
25	मेसर्स शिखर हाउसिंग डेव्लपर्स इन्दौर	07/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिक्केशन के उपबंधों का उल्लंघन।
26	मेसर्स आर्म्स रीयल इस्टेट डेव्लपर्स इन्दौर	07/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिक्केशन के उपबंधों का उल्लंघन।
27	मेसर्स सिद्धिविनायक डेव्लपर्स इन्दौर	20/01/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत 14/9/06 को जारी नोटिफिक्केशन के उपबंधों का उल्लंघन।

28	मेसर्स संगीता शर्मा ओर माइन छिंदवाडा	17/02/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने व वगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के माइन्स संचालित करने के कारण।
29	मेसर्स संगीता शर्मा ओर माइन छिंदवाडा	17/02/14	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44,45 एवं 47	बोर्ड की स्थापना सम्मति प्राप्त किये विना माइन्स को चलाने के कारण।
30	मेसर्स कृष्णा पिंग एलायस ओर माइन छिंदवाडा	17/02/14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 एवं 19 के अन्तर्गत।	पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने व वगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के माइन्स संचालित करने के कारण।
31	मेसर्स नंदन कोल वासरीज छिंदवाडा	14/02/14	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26, 44 एवं 47	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 का पालन न करने के कारण
32	मेसर्स कृष्णा हाईटस पोलीपाथर जबलपुर	22/02/14	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44,45 एवं 47	बोर्ड की स्थापना सम्मति प्राप्त किये विना माइन्स को चलाने के कारण।
33	मेसर्स झटका वधशाला (स्लाटर हाउस) गाडी अड्डा जूनी इन्दौर	19/2/14	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24 एवं 25 के अन्तर्गत।	विना बोर्ड के वैध सम्मति प्राप्त किए संचालन एवं दूषित जल का विना उपचार के निस्त्राव करना।
34	मेसर्स सदर बाजार हलाल वधशाला (स्लाटर हाउस) इन्दौर	19/2/14	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24 एवं 25 के अन्तर्गत।	विना बोर्ड के वैध सम्मति प्राप्त किए संचालन एवं दूषित जल का विना उपचार के निस्त्राव करना।
35	मेसर्स खजराना वधशाला (स्लाटर हाउस) निपानिया इन्दौर	19/2/14	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24 एवं 25 के अन्तर्गत।	विना बोर्ड के वैध सम्मति प्राप्त किए संचालन एवं दूषित जल का विना उपचार के निस्त्राव करना।

सिद्ध हुये आरोप :

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जिला जबलपुर के न्यायालय में श्याम कुमार परौहा निवासी ग्राम खिरहनी तहसील व जिला कटनी तथा विनोद कुमार जैन द्वारा ग्राम कौडा मुकुर माइन्स तह.सिहोरा जबलपुर द्वारा संचालित आयरन ओर,क्ले,लेटराईट माइंस के विरूद्ध राज्य बोर्ड की पूर्व सम्मति के बिना खदान का संचालन एवं उत्खनन करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-44 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 1486/2009 संस्थित दिनांक 22/9/09 को दायर किया गया था।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जिला जबलपुर द्वारा दिनांक 25/7/13 को आदेश पारित कर आरोपीगण को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सिद्धदोष ठहराते हुये श्याम कुमार परौहा को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अपराध में एक वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये (1 हजार रूपये) के अर्थदंड तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-44 के अपराध में एक वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये (1 हजार रूपये) के अर्थदंड से तथा आरोपी विनोद कुमार जैन को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अपराध में एक वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये (1 हजार रूपय) के अर्थदंड तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-44 के अपराध में एक वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये (1 हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा प्रत्येक अर्थदण्ड की राशि व्यतिकम करने पर आरोपीगण को एक-एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाये। उपरोक्त कारावास की सजाएँ एक साथ चलेंगी।

• • •

10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

इस अध्याय में वर्ष 2013-2014 के आंकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं । जल एवं वायु अधिनियमों की संबंधित धाराओं की अपेक्षा अनुसार बोर्ड के परीक्षित लेखे शासन को पृथक से प्रस्तुत किये जावेंगे ।

अनुदान एवं आय :

वर्ष 2013-2014 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्त आय राशि रूपये 5353.12 लाख जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि रू. 1145.00 लाख हैं। केन्द्र शासन से जल उपकर अंघदान प्राप्त राशि रूपये 325.72 लाख है। सम्मति शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क, प्राधिकार शुल्क, मॉनिटरिंग चार्जेस एवं अन्य शुल्कों से रू. 2854. 31 लाख जिसमें सम्मति शुल्क रू. 652.28 लाख, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रू. 1679.51 लाख सम्मिलित है। अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त राशि रू. 1028.09 लाख जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं के परिचालन हेतु प्राप्त राशि, बैंक जमा पर ब्याज रू. 936.03 लाख एवं कर्मचारियों से अग्रिम वसूली के रूप में रू. 9.41 लाख की राशि भी सम्मिलित है ।

आधिक्य एवं राजस्व व्यय :

विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की प्राप्त आय के विरुद्ध कुल व्यय रूपये 3223.88 लाख हुआ है। वर्ष में कुल व्यय राशि 3223.88 लाख का 84.35 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय, 0.42. प्रतिशत पूंजीगत व्यय एवं 15.23 प्रतिशत अन्य आवर्ति व्यय है ।

• • •

11. वार्षिक योजना 2014-2015

वर्ष 2013-2014 में राज्य शासन के बजट में रूपये 1145.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राज्य शासन से रू. 1145.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित योजनाओं के लिये रू. 2063.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

प्रस्तावित योजनाओं को विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र.	योजना का नाम	राशि (लाख रू. में)	राशि रू. (लाख में)
1.	अनुसंधान एवं विकास 1.1 सर्वे एवं मॉनिटरिंग 1.2 ई. वेस्ट इन्वेन्टराईजेशन 1.3 अनुसंधान विकास केन्द्र	 275.00 15.00 135.00	 425.00
2.	संगठन का सुदृढ़ीकरण		700.00
3.	राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरूस्कार		13.00
4.	कार्यशाला, प्रशिक्षण, जन-जागरूकता एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान		50.00
5.	ऑन लाईन एम्बीएन्ट एयर मॉनिटरिंग सिस्टमों की स्थापना (बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, देवास, रायसेन)		875.00
6.	आई.टी./ई-गर्वनेंस		0.01
7.	पॉलिसी रिफार्म इंटरप्राइस रिर्सोस प्लानिंग- विजन 2018		0.01
	कुल योग (लाख रू. में)		2063.02

12. राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को जन मानस तक पहुँचाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत कारगर साबित हुआ है। वेब साईट का अपडेशन, संधारण एवं संचालन विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से बोर्ड की आई.टी. शाखा द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रारंभ किया। बोर्ड की वेब साईट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सर्वर पर स्थानान्तरित कर दी गई एवं वर्तमान में www.mppcb.nic.in पर कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बोर्ड के कार्यो में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई। सर्वप्रथम वर्ष 2008 में वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में तकनीकी प्रस्तुतीकरण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरूवार का दिन सुनिश्चित कर प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

तकनीकी प्रस्तुतीकरण के मॉडल को देश में ख्याति एवं मान्यता प्राप्त हुई है एवं केन्द्रीय शासन द्वारा इसे पूरे देश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लागू करने की अनुशंसा की है। उद्योगों से आये प्रतिनिधि तकनीकी प्रस्तुतीकरण माईक्रोसॉफ्ट पॉवर पाईन्ट पर बोर्ड के उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते है। उद्योग प्रतिनिधि सम्मति आवेदन पत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी के आंकड़ों/फोटोग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करता है। तकनीकी प्रस्तुतीकरण करने के उपरान्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष/निर्णय को उसी दिवस को बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित किया जाता है जो के वेब साईट पर ओपन एक्सेस होता है। उद्योग उक्त विवरण को पढ़कर तदानुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकते है। जिससे प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है।

बोर्ड की वेब साईट पर वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार संबंध जानकारी प्रदर्शित करना प्रारंभ किया गया। इससे पत्र जारी होने के उपरान्त उद्योग स्वयं इंटरनेट के माध्यम से सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार की स्थिति ज्ञात कर पाता है।

इसी परिपेक्ष्य में पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाये गए एवं वर्ष बोर्ड की वेब साईट पर जारी होने वाले सम्मति/सम्मति नवीनीकरण पत्रों के स्केन प्रति को दिया जाने लगा है। इससे उद्योग सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की प्रति वेब साईट से सीधे डाउनलोड कर सकता है।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र गाँधीनगर के सहयोग से एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर संचालित है। इस सॉफ्टवेयर में कुल 16 मॉडल्यूस् सम्मिलत है, जिस वर्तमान में 06 मॉडल्यूस् के अन्तर्गत तकनीकी शाखा, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ शाखा तथा खतरनाक अपशिष्ठ प्रबंधन शाखा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया है। सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में लगभग 170 उद्योगों के आंकड़े शामिल है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

जल उपकर :-

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से केन्द्र शासन ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम, 1977 पारित किया है, इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं पर उनके द्वारा उपयोग किये गये जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाता है । जल उपकर अधिनियम 1977 एवं संशोधित अधिनियम 2003 अनुसूची-2 में अंकित दरों के आधार पर जल उपकर वसूला जाता है ।

वर्ष 2013-14 में उद्योगो/ स्थानीय संस्थाओं पर निर्धारित की गई राशि उनसे प्राप्त राशि केन्द्र शासन को भेजी गई राशि तथा केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का विवरण तालिका में प्रस्तुत है :-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
1	निर्धारित उपकर की राशि	566.16
2	वसूल की गई राशि	447.47
3	केन्द्र सरकार को हस्तांतरित राशि	447.47
4	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	3.25
5	उपकर में छूट की राशि	निरंक

आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं संबंधित परिस्थितियों में उद्योंगो, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य ऐजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है । जिसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्य प्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया है । केन्द्र, राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल काइसिंस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोर्टेसियली टॉक्सिक केमिकल से सतत् सम्पर्क रखता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय-अर्ध शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है । इस केन्द्र का का कार्य सीमा प्रदेश स्तर तक ही सीमित नहीं है । अन्य प्रदेशों को भी आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है । वर्तमान में 326 उद्योग इस केन्द्र के सदस्य है ।

केन्द्र द्वारा आउट रीच कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भित वित्तीय वर्ष में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 4 स्थानों पर जन-जागृति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि गण, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग, दमकल विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम, नगरपालिका, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में क्लोरीन सुरक्षा उपाय, खतरनाक रसायनों के परिवहन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियॉं, नगरीय ठोस अपशिष्टों एवं रसायन अपशिष्टों का वैज्ञनिक पद्धति से निष्पादन जैसे

महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये जिनमें लगभग 500 प्रशिक्षणा लाभन्वित हुए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों के उद्बोधन के अतिरिक्त ऑनसाईट ईमर्जेसी मॉकड्रिल का उद्योगों के परिसर में प्रर्दशन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों का भवन निर्माण

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शहडोल, सिंगरौली एवं सतना में क्षेत्रीय कार्यालयों के निम हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं एवं भवन निमार्ण का कार्य मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल के माध्यम से कराया जा रहा है, अब तक सिंगरौली एवं शहडोल बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा सतना में कार्यालय भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है शहडोल में टेण्डर स्वीकृति की प्रक्रिया विचाराधीन है। तीनों स्थानों पर एक ही डिजाईन के कार्यालय भ निमार्ण किए जा रहे हैं, ताकि एकरूपता बनी रहे।

राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची

परिशिष्ट - 1

क्र.	नाम एवं पदनाम	पद
1	डॉ.एन.पी. शुक्ला, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें भोपाल	सदस्य
5	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल	सदस्य
6	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
7	श्रीमति कृष्णा गौर, महापौर नगरपालिक निगम, भोपाल	सदस्य
8	श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम, जबलपुर	
9	श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन	सदस्य
10	डॉ. अनिल तिवारी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्यौंथर, जिला- रीवा	सदस्य
11	श्रीमति अर्चना गुड्डू सिंह, अध्यक्ष नगर पालिक परिषद, छतरपुर	सदस्य
12	श्री हरभजन शिवहरे, ई-8/21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	सदस्य
13	श्री अभय दारे(बी.ई.सिविल) 45, द्वारिका विहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर	सदस्य
14	श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7 जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला-विदिशा	सदस्य
15	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल	सदस्य
16	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	सदस्य
17	श्री आर.के. जैन, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल दिनांक 05.03.2014 तक	सदस्य सचिव
18	श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल दिनांक 05.03.2014 से	सदस्य सचिव

बोर्ड की संरचना

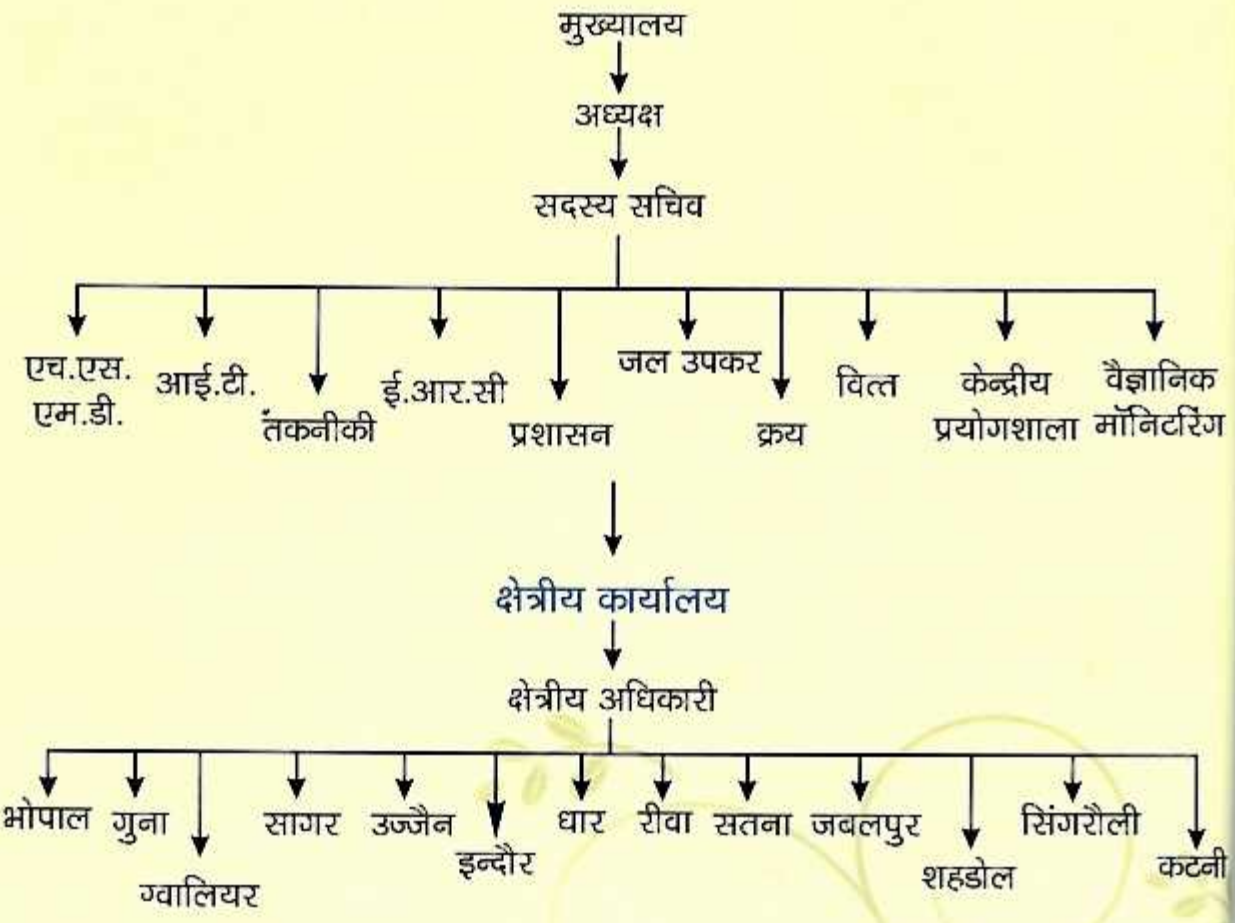

प्रयोगशाला संरचना

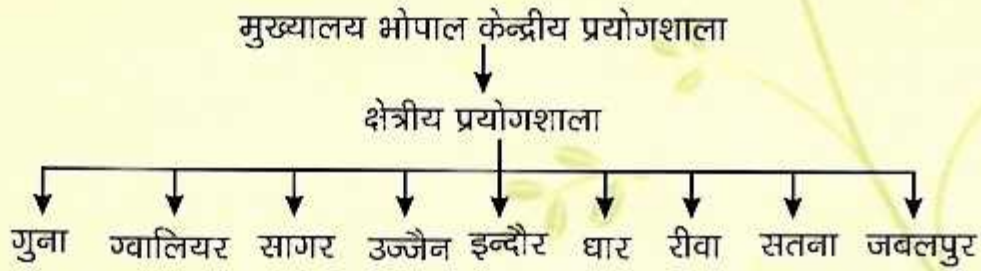

• • •

परिशिष्ट-3

वर्ष 2013-14 में जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानो की सूची

क्र.	उद्योग/संस्थान/खदान का नाम
1.	मे. अमरकंटक थर्मल पॉवर स्टेशन चचाई, जिला अनूपपुर
2.	मे. प्राइज पेट्रोलियम लिमि., वेल नं. सी, जिला शहडोल
3.	मे. प्राइज पेट्रोलियम लिमि., वेल नं. ए, जिला शहडोल
4.	मे. आस्था इण्ड., देवास
5.	मे. केशव इण्ड., देवास
6.	मे. स्वास्तिक इंटरप्राईजेस, देवास
7.	मे. जाजू सर्जिकल, देवास
8.	मे. व्ही.ई.ई. कामर्शियल यूनिट-2, देवास
9.	मे. सिद्धि विनायक इण्ड., देवास
10.	मे. बालाजी फॉस्फेट, देवास
11.	मे. एग्रो फॉस, देवास
12.	मे. महाकाली फूड यूनिट-3, देवास
13.	मे. टाटा इंटरनेशनल, देवास
14.	मे. एच. एण्ड आर. जानसन, देवास
15.	मे. ई.आय.डी.पैरी, देवास
16.	मे. राज पायोनियर लेबोरेटरी, देवास
17.	मे. होटल अमर महल पैलेस, ओरछा, जिला टीकमगढ
18.	मे. एवरेस्ट इण्ड.प्रा.लिमि., कैमोर, जिला कटनी
19.	मे. कैलीडरिज इंडिया लिमि., कटनी
20.	मे. यूनिकेम लेबोरेट्रीज पीथमपुर
21.	मे. मान ट्रक लि., पीथमपुर
22.	मे. प्रतिभा सिंटेक्स., पीथमपुर
23.	मे. सिल्वर ओक इं. लि. पीथमपुर
24.	मे. एडवांस एनजाईन टेक्नालॉजी एसईजेड, फेस-1, पीथमपुर
25.	मे. बर्गवर्ग आर्गेनिक्स प्रा.लि., एसईजेड फेस-1, पीथमपुर
26.	मे. आदीकेम ट्रेड लि., पीथमपुर
27.	मे. कसोमा बायोकेम प्रा.लि., पीथमपुर
28.	मे. नमोकार स्पेशियलिटी केमिकल्स प्रा.लि., पीथमपुर
29.	मे. अनजनिया इण्ड. मेघनगर, झाबुआ
30.	मे. अम्बेटेक प्रा.लि., मेघनगर, झाबुआ
31.	मे. केडबरी इं.लि., मालनपुर
32.	मे. ग्वालियर एल्कोब्रेव लि., रायरू, ग्वालियर
33.	मे. व्हीआरएस फूड्स मालनपुर जिला भिण्ड
34.	मे. जे.के. टायर इण्ड. लि. बामौर मुरैना
35.	मे एस एण्ड एच हार्डवेयर, इंदौर
36.	मे. विशाल फेब इं.लि., इंदौर
37.	मे. छावड़ा आटो लिंक प्रा.लि., इंदौर
38.	मे. दुग्गड टीवीएस प्रा.लि., इंदौर
39.	मे.सांघी ब्रदर्स इंदौर प्रा.लि., इंदौर

40.	मे. सोवेरियन रेमेडीज इंदौर
41.	मे. सेलवेल फार्मा, इंदौर
42.	मे. अकपास फार्मा, इंदौर
43.	मे. कावरा ड्रग्स इंदौर
44.	मे. नियाति फार्मा, इंदौर
45.	मे. बायोमेडिकल लेबोरेट्रीज इंदौर
46.	मे. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, विन्ध्यनगर, फेस-3, सिंगरौली
47.	मे. हिण्डालको इण्ड.लिमि. (महान एल्युमिनियम कंपनी), सिंगरौली
48.	मे. एस्सार एम.पी. पॉवर कंपनी लिमि., सिंगरौली
49.	मे. सासन पॉवर लिमि., मोहेर एंड मोहेर कोल माइन्स, सिंगरौली
50.	मे. एस.एम.व्ही. ब्रेवरीज, मण्डीदीप, जिला रायसेन
51.	मे. आयशर ट्रेक्टर्स, मण्डीदीप, जिला रायसेन
52.	मे. मैक्सन न्यूट्रीशियंस, मण्डीदीप, जिला रायसेन
53.	मे. प्रॉक्टर एंड गेम्बल, मण्डीदीप, जिला रायसेन
54.	मे. आईडब्ल्यूआई स्टेशनरी, मण्डीदीप, जिला रायसेन
55.	मे. लाइफ स्पॉन बायोटेक, मण्डीदीप, जिला रायसेन
56.	मे. मेक्सन हेल्थ केयर, मण्डीदीप, जिला रायसेन
57.	मे. ट्राइस्टार ब्रेवरीज, मण्डीदीप, जिला रायसेन
58.	मे. रूद्र इंटरनेशनल, मण्डीदीप, जिला रायसेन
59.	मे. सेवियर केप्स, मण्डीदीप, जिला रायसेन
60.	मे. जमुना हर्बल, मण्डीदीप, जिला रायसेन
61.	मे. विष्टा आर्गेनिक्स, मण्डीदीप, जिला रायसेन
62.	मे. सांवरिया एग्रो (राइस डिवीजन), मण्डीदीप, जिला रायसेन
63.	मे. एल.एम. बेकर्स, मण्डीदीप, जिला रायसेन
64.	मे. डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा, जिला बैतूल
65.	मे. आशिमा मॉल, होशंगाबाद रोड़, भोपाल
66.	मे. जे.के. हॉस्पिटल एंड एल.एन. मेडिकल कॉलेज, कोलार रोड़, भोपाल
67.	मे. दिलीप बिल्डकॉम लिमि. (घोड़ाडोंगरी बेस केम्प), जिला बैतूल
68.	मे. श्रीजी शुगर एंड पॉवर(प्रा) लिमि., बैतूल
69.	मे. नारंग ऑटो मोबाइल, एम.पी. नगर, भोपाल
70.	मे. मनोहर फूड्, एम.पी. रेस्टारेंट, भोपाल
71.	मे. चिनार ड्रीम सिटी (मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट), भोपाल
72.	मे. मेपल ट्री (मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट), भोपाल
73.	मे. पारस अर्बन पार्क(मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट), भोपाल
74.	मे. शिवलोक फेज-5 (द्रोपदी कन्स्ट्रक्सन डुप्लेक्स ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट), भोपाल
75.	मे. सेन्चुरी 21 प्रा.लिमि. (शापिंग मॉल), मिसरोद, भोपाल
76.	मे. वेस्ट प्राइज मॉर्डन होलसेल (द्वारा वालमार्ट इंडिया प्रा.लिमि.), भोपाल
77.	मे. वेस्ट प्राइज मॉर्डन होलसेल (द्वारा वालमार्ट इंडिया प्रा.लिमि.), मिसरोद, भोपाल
78.	मे. माई इक्यूपमेंट्स प्रा.लिमि. (जेसीबी सर्विस सेंटर), भोपाल
79.	मे. ब्रिज डेयरी एंड ब्रेवरीज, औद्योगिक क्षेत्र कोसमी, बैतूल
80.	मे. पीपुल्स सिटी (शापिंग मॉल), भानपुर बायपास, भोपाल
81.	मे. रेवाकृपा शुगर प्रा.लिमि., जबलपुर
82.	मे. रूचि सोया इण्ड.लिमि., नरसिंहपुर
83.	मे. जे.पी. रीवा सीमेंट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.), जिला रीवा
84.	मे. जे.पी. सीधी सीमेंट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि.), जिला सीधी

परिशिष्ट -4

वर्ष 213-14 में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग/संस्थान/खदान का नाम
1.	मे. अमरकंटक थर्मल पॉवर स्टेशन चचाई, जिला अनूपपुर
2.	मे. प्रेस्टीज सोया लिमि., देवास
3.	मे. दिलीप बिल्डकॉन एंड बिल्डर्स, ग्राम नामली, जिला रतलाम
4.	मे. वरूण फर्टिलाईजर, नीमच
5.	मे. विक्रम सीमेंट लिमि., खोर, जिला नीमच
6.	मे. विप्पी इंडस्ट्री, देवास
7.	मे. जी.आर. इन्फ्राटेक, ग्राम भेरूप्रिया, जिला नीमच
8.	मे. बालाजी फास्फेट, देवास
9.	मे. एग्रोफास, देवास
10.	मे. गायत्री स्टोन क्रेशर, केलोद, जिला देवास
11.	मे. आर.व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमि., ग्राम जलालखेड़ी, जिला उज्जैन
12.	मे. डी.पी. जैन प्रोजेक्ट, ग्राम ककरावदाकला, जिला शाजापुर
13.	मे. ए.के. लुनिया एंड कं. ग्राम बिबरोद, जिला रतलाम
14.	मे. आशीष इंटरप्राईजेस, नीमच
15.	मे.ऋषभ इंटरप्राईजेस, मनासा, जिला नीमच
16.	मे. शदर त्रेहान भोपाल रोड़, जिला देवास
17.	मे. डोनीपोलो, ग्राम मकडावना शामगढ़, जिला मन्दसौर
18.	मे. बिरला सीमेंट लिमि., सतना
19.	मे. मैहर सीमेंट लिमि., सतना
20.	मे. के.जे.एस. सीमेंट लिमि., सतना
21.	मे. भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमि., सतना
22.	मे. एसोसियेटेड लाइम, ग्राम नन्हवारा, जिला कटनी
23.	मे. पी.डी. अवस्थी, ग्राम बड़ारी, जिला कटनी
24.	मे. मेहरोत्रा इण्ड., ग्राम बुजबुजा, कटनी
25.	मे. कामतानाथ स्टोन क्रेशर, ग्राम बिचपुरा, कटनी
26.	मे. कैलीडरिज इंडिया लिमि., कटनी
27.	मे. सतगुरू सीमेंट प्रा.लि., धार
28.	मे. आबू सीमेंट, सरदारपुर
29.	मे. प्लेटिनम सीमेंट प्रा.लि.
30.	मे. ग्रेट गेलियन, लेवड़, धार
31.	मे. इंदिरा फर्टिलाईजर, बदनावर
32.	मे. विक्रम यूरेथिन, पीथमपुर
33.	मे. हिण्डालको इण्ड.लिमि. (महान एल्युमिनियम कंपनी), सिंगरौली
34.	मे. एस्सार एम.पी. पॉवर कंपनी लिमि., सिंगरौली
35.	मे. सासन पॉवर लिमि., सिंगरौली

36.	मे. स्पेशिलिटी आर्गेनिक्स, मण्डीदीप, जिला रायसेन
37.	मे. विवेक गोंडल स्टोन क्रेशर यूनिट, छापरी, भोपाल
38.	मे. तुलसी आहूजा स्टोन क्रेशर यूनिट, छापरी, भोपाल
39.	मे. यूनिक कन्स्ट्रक्सन कंपनी, स्टोन क्रेशर यूनिट, कलखेड़ा, भोपाल
40.	मे. संदीप सूद स्टोन क्रेशर यूनिट, मालीखेड़ी, भोपाल
41.	मे. रोजोरिया स्टोन क्रेशर यूनिट, छापरी, भोपाल
42.	मे. करतार स्टोन क्रेशर यूनिट, छापरी, भोपाल
43.	मे. एम.एम. बाजार पैकेजिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स (शॉट ब्लास्टिंग यूनिट), गोविंदपुरा, भोपाल
44.	मे. राज स्टोन क्रेशर यूनिट, छापरी, भोपाल
45.	मे. अभिषेक इंटरप्राईजेस, गोविंदपुरा, भोपाल
46.	मे. एस.टी.पी. सारनी, जिला बैतूल (2 x 250 मेगावाट)
47.	मे. दिलीप बिल्डकॉम लिमि. (घोड़ाडोंगरी बेस केम्प), बैतूल
48.	मे. श्रीजी शुगर एंड पॉवर प्रा.लिमि., सुहागपुर, जिला बैतूल
49.	मे. मनोहर फूड्स (एम.पी. नगर रेस्टोरेंट), भोपाल
50.	मे. के.एन.आर. कन्स्ट्रक्सन लिमि. (घाट पिपरिया बेस केम्प), बैतूल
51.	मे. ट्रांसटॉप (प्रा.), स्टोन क्रेशर, नायकचारसी, बैतूल
52.	मे. ब्रिज डेयरी एंड ब्रेवरीज, औद्योगिक क्षेत्र कोसमी, बैतूल
53.	मे. ट्रांसटॉप (प्रा.), हॉटमिक्स प्लांट, नायकचारसी, बैतूल
54.	मे. एल.एम. बेकर्स, मण्डीदीप, जिला रायसेन
55.	मे. श्रीमती अरूणा सिहारे, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भंवरताल, मण्डला
56.	मे. सुमेधा मिनरल डोलोमाइट स्टोन क्रेशर भंवरताल, मण्डला
57.	मे. कमलेश मोहन झिकराम, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भंवरताल, मण्डला
58.	मे. विनोद कुमार अग्रवाल, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, ककैया, मण्डला
59.	मे. पूजा मिनरल, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, मुगधरा, मण्डला
60.	मे. महावीर डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भाटिया टोला, मण्डला
61.	मे. श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भाटिया टोला, मण्डला
62.	मे. हनुमान माइन एंड मिनरल, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भाटिया टोला, मण्डला
63.	मे. कुसुम मिनरल्स, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, घटिया, मण्डला
64.	मे. मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, लिमारूया, मण्डला
65.	मे. नर्मदा मिनरल्स, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भाटिया टोला, मण्डला
66.	मे. रघुवेन्द्र सिंघानिया, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भंवरताल, मण्डला
67.	मे. संतोष जैन, डोलोमाइट स्टोन क्रेशर, भंवरताल, मण्डला
68	मे. श्रीमती अरूणा सिहारे, डोलोमाइट माईन, भंवरताल, मण्डला
69.	मे. सुमेधा मिनरल, डोलोमाइट माईन, भंवरताल, मण्डला
70.	मे. कमलेश मोहन झिकराम, डोलोमाइट माईन, भंवरताल, मण्डला
71.	मे. जयश्री श्याम मिनरल्स डोलोमाइट माईन, भंवरताल, मण्डला
72.	मे. हनी मिनरल्स, डोलोमाइट माईन, कतामल, मण्डला
73.	मे. विनोद कुमार अग्रवाल, डोलोमाइट माईन, ककैया, मण्डला
74.	मे. पूजा मिनरल्स डोलोमाइट माईन, मुगधरा, मण्डला
75.	मे. प्रीसियस मिनरल्स, डोलोमाइट माईन, मुगधरा, मण्डला
76.	मे. ओसीएल इंडिया लिमि., डोलोमाइट माईन, मुगधरा, मण्डला

77.	मे. सालासार मिनरल्स डोलोमाइट माईन, भाटिया टोला, मण्डला
78.	मे. नर्मदा मिनरल, डोलोमाइट माईन, भाटिया टोला, मण्डला
79.	मे. अंजन हरलालका, डोलोमाइट माईन, भाटिया टोला, मण्डला
80.	मे. हनुमान माइन एंड मिनरल्स, डोलोमाइट माईन, भाटिया टोला, मण्डला
81.	मे. बजरंग स्टोन क्रशर, ग्राम सोनरा, तह हुजूर, जिला रीवा
82.	मे. भारत ग्रामोद्योग स्टोन क्रशर, ग्राम व पोस्ट कुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
83.	मे. भारत स्टोन क्रशर, ग्राम कुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
84.	मे. चौहान स्टोन क्रशर, ग्राम बेला, तहसील हुजूर, जिला रीवा
85.	मे. देव स्टोन क्रशर, ग्राम सिखिनी, पोस्ट रामनई, तहसील रायपुर कर्चु, जिला रीवा
86.	मे. देव ग्रुप स्टोन क्रशर, ग्राम सिखिनी, पोस्ट रामनई, तहसील रायपुर कर्चु, जिला रीवा
87.	मे. जी.पी. क्रसिंग प्लांट, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
88.	मे. जयप्रकाश इंटरप्राइजेज स्टोन क्रशर, ग्राम पोस्ट बनकुइंया, जिला रीवा
89.	मे. कृष्णा क्रसिंग प्लांट, ग्राम बेला बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
90.	मे. ललित स्टोन क्रशर, ग्राम नौबस्ता, तहसील हुजूर, जिला रीवा
91.	मे. लक्ष्मी स्टोन क्रशर, ग्राम सेकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
92.	मे. वैष्णव स्टोन क्रशर, ग्राम पहडिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
93.	मे. महालक्ष्मी स्टोन क्रशर, ग्राम सुमेदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
94.	मे. महिमान स्टोन क्रशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
95.	मे. मारूति नंदन स्टोन क्रशर, ग्राम सगरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
96.	मे. प्रकाश स्ट्रक्चरल इंटरप्राईजेज, ग्राम मरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
97.	मे. आर.के. मिनरल्स, ग्राम सुमेदा, पोस्ट विहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
98.	मे. रघु स्टोन क्रशर, ग्राम कौआढ़ान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
99.	मे. रामदूत स्टोन क्रशर, ग्राम नवागाँव, तहसील हुजूर, जिला रीवा
100.	मे. गायत्री मिनरल्स स्टोन क्रशर, ग्राम पैपखरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
101.	मे. साई क्रेसिंग प्लांट, ग्राम बेला बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
102.	मे. शालिवाहन स्टोन क्रशर, ग्राम सगरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
103.	मे. शारदा स्टोन क्रशर, ग्राम डाढी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
104.	मे. शिवशक्ति स्टोन क्रशर, ग्राम बनकुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
105.	मे. श्री स्टोन क्रशर, ग्राम डाढी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
106.	मे. गुरूजी स्टोन क्रशर, ग्राम बेला बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
107.	मे. अमर स्टोन क्रशर, ग्राम भलुहा, पोस्ट रामनई, तहसील रायपुर कर्चु, जिला रीवा
108.	मे. छायारानी सोहगौरा स्टोन क्रशर, ग्राम कपसा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा
109.	मे. अभिषेक स्टोन क्रशर, ग्राम खमरिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
110.	मे. माँ शक्ति कां कम्पनी स्टोन क्रशर, ग्राम नवागाँव, तहसील हुजूर, जिला रीवा
111.	मे. प्रताप मिनिरल्स स्टोन क्रशर, ग्राम हरी प्रताप सिंह, तहसील हनुमना, जिला रीवा
112.	मे. ओम स्टोन क्रशर, ग्राम बनकुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
113.	मे. प्रदीप सिंह स्टोन क्रशर, ग्राम कुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
114.	मे. न्यू साई स्टोन क्रशर, ग्राम कचूर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
115.	मे. रूद्र स्टोन क्रशर, ग्राम रहट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
116.	मे. रामेश्वरम स्टोन क्रशर, ग्राम दादर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
117.	मे. रिमता स्टोन क्रशर, ग्राम बनकुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा

118.	मे. आर.के. स्टोन क्रशर, ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
119.	मे. जी.व्ही.आर. कंपनी लिमि., ग्राम हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा
120.	मे. महामाया मिनिरल्स (स्टोन क्रशर), ग्राम मरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
121.	मे. जय हनुमान स्टोन क्रशर, ग्राम अतरैली, तहसील हुजूर, जिला रीवा
122.	मे. माँ स्टोन क्रशर, ग्राम कौआढ़ान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
123.	मे. त्रिवेणी स्टोन क्रशर, ग्राम बनकुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
124.	मे. सोहागौरा स्टोन क्रशर, ग्राम बनकुइंया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
125.	मे. सुभद्रा स्टोन क्रशर, ग्राम डढ़िया, पोस्ट परसवार, तहसील सिहावल, जिला सीधी
126.	मे. डाला स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम लौआ, मायापुर, सीधी
127.	मे. सिंह स्टोन क्रशर, ग्राम शिवपुरवा, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
128.	मे. अजय स्टोन क्रशर, ग्राम जमोड़ी कला, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
129.	मे. जी.वी. स्टोन क्रशर, ग्राम जेदुआ, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
130.	मे. गंगा स्टोन क्रशर, ग्राम कुनझुन खुर्द, तहसील सिहावल, जिला सीधी
131.	मे. ज्योति स्टोन क्रशर, ग्राम डढ़िया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
132.	मे. मलय निर्माण (स्टोन क्रशर), ग्राम डढ़िया, पोस्ट परसवार, तहसील सिहावल, जिला सीधी
133.	मे. रागिनी सिंह स्टोन क्रशर, ग्राम सोनवर्षा, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
134.	मे. सुशीला स्टोन क्रशर, ग्राम डढ़िया, पोस्ट परसवार, तहसील सिहावल, जिला सीधी
135.	मे. विकास इण्ड (स्टोन क्रशर) ग्राडढ़िया, पोस्ट परसवार, तहसील सिहावल, जिला सीधी
136.	मे. विनोद सिंह स्टोन क्रशर, ग्राम डढ़िया, तहसील सिहावल, जिला सीधी
137.	मे. प्रेमकान्ता स्टोन क्रशर, यूनिट-2, ग्राम कठोतहा (अकौरी), तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
138.	मे. परफीसियंट इंडिया स्टोन क्रशर, ग्राम नवगमाँ, तहसील गोपदवनास, जिला सीधी

प्रकाशन

1. धरोहर समाचार पत्रिका

शोध पत्र प्रकाशन

- Study on Formation of Trihalomethanes (THMs) in Potable Treated Water of Gwalior City, Madhya Pradesh, India
- Effect of Idol Immersion on Water Quality of Lakes of Bhopal, MP, India,
- Report preparation of project Study of Trihalomethans in chlorinated drinking water of Gwalior city.

• • •